भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 153
02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत लाभार्थी

153. **श्री रमेश चन्द्र कौशिक:**

श्रीमती नवनित रवि राणा:

श्री सुनील कुमार पिन्टू:

श्रीमती रमा देवी:

श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में अमरावती जिले सहित निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जिला-वार कुल कितने लाभार्थी हैं;

(ख) क्या देश में राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में कार्मिकों और उपकरणों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि स्टिंग, रेड बुल जैसे कई बोतलबंद शीतल पेयों में कैफीन की मात्रा अत्यधिक होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स और बोतलबंद शीतल पेयों के कितने नमूनों का परीक्षण किया गया है; और

(च) महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा सहित देश में उक्त घटिया खाद्य नमूनों के व्यवसायियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): अमरावती जिले सहित महाराष्ट्र में जिला-वार नि-क्षय पोषण योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या **अनुलग्नक- I** में दी गई है।

(ख) और (ग): खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के तहत प्रावधानों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों पर निर्भर है। तथापि, राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं (एसएफएल) में जनशक्ति और उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश में "मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण (सॉफ्टेल)" के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना चला रहा

है जिसके तहत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रयोगशाला उपस्कर, अत्याधुनिक उपस्कर, सूक्ष्म जीवविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। एफएसएसएआई ने राज्यों को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, प्रमाणित रेफरेंस सामग्री, उपभोग्य वस्तुओं के प्रापण और संविदागत जनशक्ति को किराए पर लेने के लिए अनुदान भी प्रदान किए हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में भी बुनियादी परीक्षण सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफ़एसडबल्यू) नामक मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराई हैं। वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान, एफएसएसएआई ने हितधारकों (राज्य/एसएफटीएल/रेफरल प्रयोगशाला) को सोफ्टेल के तहत कुल 613.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

वर्ष 2020-21 से राज्यों और एफएसएसएआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से वार्षिक कार्य योजना के तहत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) को अनुदान प्रदान कर रहा है। एसएफटीएल को उनके रिक्त पद के विरुद्ध या मामले की योग्यता के आधार पर एसएफटीएल की आवश्यकता के अनुसार प्रयोगशाला उपकरण और जनशक्ति की आवश्यकता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एसएफटीएल के कामकाज में सुधार के लिए तकनीकी जनशक्ति और अन्य सहायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह देश में महाराष्ट्र राज्य सहित (अमरावती और अन्य जिलों में) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन में सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) से (च): खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के अनुसार, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों में कैफीन की मात्रा 145 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम और 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे उत्पादों के लेबल में एक घोषणा शामिल होगी कि "प्रति दिन 500 मिलीलीटर से अधिक का उपभोग न करें" जो प्रति दिन खपत की अधिकतम मात्रा को प्रतिलक्षित करता है। सभी खाद्य व्यवसाय से जुड़े संचालकों को इन विनियमों का पालन करना होगा।

एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए खाद्य उत्पादों की निगरानी, सर्विलांस, जांच और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है। ऐसे मामलों में जहां ऊर्जा पेय और बोतलबंद शीतल पेय सहित खाद्य नमूने अवमानक होने के साथ-साथ गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, एफएसएस अधिनियम, नियमों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, विभिन्न प्रकार के खाद्य नमूनों (एनर्जी पेय और बोतलबंद शीतल पेय सहित) का विश्लेषण किया गया, गैर-अनुरूप पाया गया और वर्ष 2022-23 के दौरान की गई कार्रवाई का राज्य-वार (महाराष्ट्र , बिहार और हरियाणा सहित) विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

अनुलग्नक- I

दिनांक 1 जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार नि-क्षय पोषण योजना के तहत महाराष्ट्र में कुल लाभार्थी (अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2023तक)		
क्र.सं.	**एनटीईपी जिले**	**कुल लाभार्थी**
1	अहमदनगर	27975
2	अहमदनगर एम.सी	3551
3	अकोला	7366
4	अकोला एम.सी	10436
5	**अमरावती**	**15823**
6	**अमरावती एम.सी**	**7460**
7	बीड	12459
8	भंडारा	10084
9	भिवंडी निज़ामपुर एम.सी	25132
10	बुलढाणा	15030
11	चंद्रपुर	18580
12	छत्रपति संभाजीनगर	13213
13	छत्रपति संभाजीनगर एम.सी	16495
14	धाराशिव	10953
15	धुले	11916
16	धुले एम.सी	6866
17	गडचिरोली	10729
18	गोंदिया	11254
19	हिंगोली	7566
20	जलगांव	24728
21	जलगांव एम.सी	8810
22	जलना	14840
23	कल्याण डोंबिवली एम.सी	23887
24	कोल्हापुर	16602
25	कोल्हापुर एम.सी	8129
26	लातूर	16628
27	मालेगांव एम.सी	7611
28	मीरा भयंदर एम.सी	15294
29	मुंबई_अंधेरी पूर्व	14502

30	मुंबई_अंधेरी पश्चिम	16979
31	मुंबई_बैल बाजार रोड	21353
32	मुंबई_बांद्रा पूर्व	13275
33	मुंबई_बांद्रा पश्चिम	7532
34	मुंबई_बोरीवली	9243
35	मुंबई_बाइकुला	13332
36	मुंबई_शताब्दी	12958
37	मुंबई_चेंबूर	14589
38	मुंबई_कोलाबा	9269
39	मुंबई_दादर	22071
40	मुंबई_दहिसर	7388
41	मुंबई_घाटकोपर	18814
42	मुंबई_गोरेगांव	10489
43	मुंबई_गोवंडी	18907
44	मुंबई_ग्रांट रोड	8100
45	मुंबई_कांदिवली	12323
46	मुंबई_कुर्ला	11335
47	मुंबई_मलाड	21655
48	मुंबई_मुलुंड	8635
49	मुंबई_परेल	13129
50	मुंबई_प्रभादेवी	6223
51	मुंबई_सायन	14279
52	मुंबई_विक्रोली	14858
53	नागपुर	15523
54	नागपुर एम.सी	35647
55	नांदेड़	16547
56	नांदेड़ वाघाला एम.सी	12887
57	नंदुरबार	17264
58	नासिक	19458
59	नासिक एम.सी	18548
60	नवी मुंबई एम.सी	24473
61	पालघर	15908
62	परभनी	11583
63	पिंपरी चिंचवाड एम.सी	16086

64	पुणे एम.सी	42101
65	पुणे ग्रामीण	38514
66	रायगढ़	28674
67	रत्नागिरि	13967
68	सांगली	15421
69	सांगली एम.सी	7730
70	सतारा	20013
71	सिंधुदुर्ग	5884
72	सोलापुर	17014
73	सोलापुर एम.सी	15906
74	ठाणे	22289
75	ठाणे एम.सी	42670
76	उल्हासनगर एम.सी	9942
77	वसई विरार एम.सी	30894
78	वर्धा	9542
79	वाशिम	10014
80	यवतमाल	22921

अनुलग्नक-II

विभिन्न प्रकार के खाद्य नमूनों (एनर्जी पेय और बोतलबंद शीतल पेय सहित) का विश्लेषण किया गया, गैर-अनुरूप पाया गया और वर्ष 2022-23 के दौरान की गई कार्रवाई राज्य-वार (महाराष्ट्र , बिहार और हरियाणा सहित) का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषण किये गये नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	सिविल मामलों का विवरण		आपराधिक मामलों का विवरण	
				शुरू किये गये मामलों की संख्या	निर्णयित मामलों की संख्या	शुरू किये गये मामलों की संख्या	निर्णयित मामलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1200	46	51	58	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3607	314	562	339	88	12
3	अरुणाचल प्रदेश	258	11	0	0	0	0
4	असम	602	99	35	0	39	0
5	बिहार	2935	92	42	39	9	0
6	चंडीगढ़	473	64	41	27	9	8
7	छत्तीसगढ	1468	96	152	119	32	8
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	164	10	16	13	1	0
9	दिल्ली	3133	255	192	86	62	10
10	गोवा	699	103	11	11	0	0
11	गुजरात	14562	978	2,981	547	48	24
12	हरियाणा	4445	1425	1,333	915	126	35
13	हिमाचल प्रदेश	2720	729	332	93	9	1
14	जम्मू एवं कश्मीर	13502	1195	1581	1592	20	15
15	झारखंड	943	370	125	44	31	8
16	कर्नाटक	3416	322	239	191	23	15
17	केरल	8533	1362	517	454	346	33
18	लद्दाख	220	6	25	23	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12507	2092	2,444	1908	166	71
21	महाराष्ट्र	11077	1340	1,384	198	300	5
22	मणिपुर	169	4	0	0	0	0
23	मेघालय	409	41	0	0	0	0
24	मिजोरम	140	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	109	6	0	0	0	0
26	ओडिशा	1368	367	145	47	116	0
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	8179	1724	855	1404	65	5
29	राजस्थान	13184	3965	3,225	2435	189	4
30	सिक्किम	279	0	11	4	0	0
31	तमिलनाडु	24188	7924	4,572	3714	732	678
32	तेलंगाना	4809	894	677	315	84	0
33	त्रिपुरा	31	8	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30140	18108	15,455	13148	2272	251
35	उत्तराखंड	1839	342	561	507	24	5
36	पश्चिम बंगाल	6203	334	532	233	27	0

******